न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 42/2021/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड

दायरा दिनांकः 9.11.2021

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

अर्जुनसिंह वल्द अमरसिंह जाति राजपूत निवासी देवरिया कांवल तहसील गंगधार जिला झालावाड राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार गंगधार जिला झालावाड राज0 ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक–अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 30.4.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा अपील सं0 66/2020 अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम बउनवान अर्जुन सिंह बनाम राज0 सरकार जरिये तह0 गंगधार मे पारित निर्णय दिनांक 24.2.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है, कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार गंगधार ने ग्राम देवरियाकांवल तहसील गंगधार की आराजी खसरा नं0 174 रकबा 2.08 बीघा काबिल काश्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर राशि 132/–रूपये शास्ति एंव 1 माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड के यहां पेश की गई जो उनके द्वारा दिनांक 24.2.2021 को खारिज की गई। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.2.2021 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे पेश कर वर्णित किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रिसियस तथा परवर्स तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि पटवारी ने अपीलांट की मौजूदगी मे पैमाईश नही की है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही है। पेनल्टी की राशि जमा करा दी है, तथा कब्जा छोडने का प्रमाण पत्र न्यायालय मे पेश कर देगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई, जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर दिये बिना अपीलांट की गैर मौजूदगी मे एक तरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही है। अपीलांट माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो की अनुपालना करने को तत्पर व तैयार है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही एक पक्षीय रूप से अपीलांट की अनुपस्थिति मे निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जबकि पटवारी ने अपीलांट की मौजूदगी मे पैमाईश नही की है। अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कोई सत्यापित दस्तावेज पत्रावली पर नही है। निर्णय मनमाना केप्रिसियस तथा परवर्स तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट

द्वारा बहस मे आगे बताया कि पेनल्टी की राशि जमा करा दी है, तथा कब्जा छोडने का प्रमाण पत्र न्यायालय मे पेश कर देगा। अतः सजा माफ कर दी जावे। अंत मे अपील स्वीकार कर निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय अपास्त करने का अनुरोध किया।

4 पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे निर्णय हरदो अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन कर निर्णय किये जाने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा डिले कन्डोन हेतु अपील मे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का ापथ पत्र भी पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार गंगधार ने ग्राम देवरियाकांवल तहसील गंगधार की आराजी खसरा नं0 174 रकबा 2.08 बीघा काबिल काश्त भूमि पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिकमी मानते हुये भूमि से बेदखल व 132/—रूपये शास्ति अधिरोपित कर 1 माह (30 दिन) के सिविल कारावास की सजा से निर्णय दिनांक 17.9.2020 से दण्डित किये जाने पर प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट मे न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड के यहां पेश की गई जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड द्वारा तहसीलदार गंगधार के उक्त आदेश/निर्णय मे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नही होना मानते हुये दिनांक 24.2.2021 को निर्णय पारित कर अपील को खारिज किया गया।

7 अपील प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार गंगधार द्वारा पारित निर्णय 17.9.20 अपीलांट की अनुपस्थिति मे एक तरफा पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा नही है। कब्जा छोडने का प्रमाण पत्र न्यायालय मे पेश कर देगा। तथा तावान राशि जमा करादी है अतः सजा माफ कर दी जावे। अपीलांट के उक्त तर्क के परिपेक्ष्य मे, तहसीलदार गंगधार द्वारा दिनांक 17.9.20 को अपीलांट की अनुपस्थिति मे एक तरफा निर्णय पारित किया है। प्रकरण मे उसका यह भी कथन रहा है कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि पर से कब्जा छोड दिया गया है इसलिये उसके साथ नरमी का रूख किया जा सकता है। यदि अपीलार्थी तहसीलदार गंगधार मे उपस्थित होकर एक शपथ पत्र इस बावत प्रस्तुत करे कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा वह भविष्य मे किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा और अधिरोपित अर्थ दंड की राशि अदा कर देगा तो उसे सिविल कारावास के दंड से मुक्त किया जा सकता है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर तहसीलदार गंगधार के निर्णय दिनांक 17.9.2020 मे आंशिक संशोधन किया जाता है। अपीलांट को सिविल कारावास की 1 माह (30 दिन) की सजा से मुक्त किया जाता है। सिविल कारावास की सजा से मुक्ति तभी मिलेगी जब वह न्यायालय तहसीलदार गंगधार के समक्ष एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर दे कि उसने वादग्रस्त भूमि से कब्जा छोड दिया है तथा वह भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा। इसके अतिरिक्त उस पर अधिरोपित अर्थ दंड जमा करा दिया गया हो। तहसीलदार गंगधार यह सुनिश्चित करले कि विवादित भूमि से कब्जा अपीलार्थी ने हटा दिया हो तथा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया हो तभी उसे सिविल कारावास के दंड से मुक्ति दी जा सकेगी अन्यथा तहसीलदार गंगधार का निर्णय यथावत रहेगा। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड का निर्णय दि0 24.2.2021 अपास्त किया जाता है।

8 निर्णय आज दिनांक 30.4.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त